UPSB040087222022

न्यायालय सिविल जज जू0डि0 / एफ.टी.सी. (सी.ए.डब्लू.), सोनभद्र

पीठासीन अधिकारी- **आकृति प्रकाश,** (उ0प्र0 न्यायिक सेवा), जे0ओ0 कोड–UP04785

मुकदमा नम्बर–7550 / 2022

काजल **बनाम** कन्हैयालाल व अन्य,

05.02.2026 :–

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर परिवादिनी मय अधिवक्ता अनुपस्थित। लंच बाद पुकार कराने पर भी परिवादिनी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि परिवादिनी अनुपस्थित चल रही है। परिवादिनी द्वारा कोई मोहलत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। उसके द्वारा न तो स्वयं का बयान अन्तर्गत धारा–200 दं0प्र0सं0 दर्ज कराया गया है और न ही किसी अन्य साक्षियों को अर्न्तगत धारा–202 दं0प्र0सं0 में परीक्षित कराया गया है। मामले में परिवादिनी को अन्तिम अवसर भी प्रदान किया है, किन्तु इसके बावजूद भी उसके द्वारा परिवाद पत्र पर कोई बल नहीं दिया गया है। अतः ऐसी स्थिति में विपक्षीगण को तलब किए जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। अतः परिवादिनी की अनुपस्थिति में परिवाद धारा–203 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत निरस्त किये जाने योग्य है।

–:आदेश:–

परिवाद अं0धारा–203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(आकृति प्रकाश)

दिनांक 05.02.2026

सिविल जज जू.डि. / एफ.टी.सी.(सी.ए.डब्लू.),
सोनभद्र।